21/5/24

पत्रावली वास्ते लिंकिंग पेश हुई। कोर्ट प्रार्थी-
उपस्थित प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विरुद्ध
लिंक शामिल किया जाकर नंबर से दर्ज हो।
निर्णय मुताबिक जावे

GCMS
2024/410

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

छोटूराम बनाम रूपराम व अन्य

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या :–176/2024

GCMS:- 2024/410

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही मालेर की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता नं. 198/244 के खसरा संख्या 340/118 की 5.060 हैक्टर पुराना खसरा नं. 118/2 की 20.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा अप्रार्थी के नाम से प्रार्थी व अप्रार्थी के संयुक्त परिवार में रहते हुए आवंटित रकबा है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम से इसी रोही मालेर के खाता नं. 14/85 के खसरा संख्या 154 की 8.640 हैक्टर बारानी में 0.4936 हैक्टर व इसी रोही के खाता नं. 106/152 के खसरा नं. 162/2 में 5.452 हैक्टर व खसरा नं. 354/162 में 2.683 हैक्टर कुल 8.135 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 रकबा में 1.162 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 पुख्ता आवंटन रकबा दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा प्रार्थी के दादा भैराराम का रकबा था जो विरास्तन प्रतिवादी नं. 1 को प्राप्त होकर पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या–1 को परिवार का मुखिया होने के नाते आवंटन हुआ था। जिसकी तमाम किश्तें प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने कड़ी मेहनत कर अन्य रकबा की आय से जमा करवाई थी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य घरू बंटवारा किया हुआ है। जिस पर मुताबिक घरू बंटवारा पिछले 20–25 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पैतृक रकबा को अपने पिता के जीवनकाल में उनके वारिसान अपने हक घोषित करवा सकते है। अप्रार्थी संख्या–1, अप्रार्थी नं. 2 के कहे अनुसार चलता है। अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी नं. 1 के नाम के तहसील अनूपगढ़ के चक 24 ए में 14.10 बीघा रकबा में से 2.10 बीघा रकबा अपने पुत्र रतन के नाम से करवा लिया है तथा वो अब जैर प्रकरण रकबा को भी किसी को बेचान एवं हस्तातंरण करवा सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी का कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे जैरवाद रकबा में किसी प्रकार की दखलदांजी ना करें तथा रहन, बैय ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना उपस्थित नही आये है। यदि वाद पत्र के निर्णय से पूर्व जैरवाद रकबा का हस्तातंरण हो जाता है तो वाद पत्र की विषय वस्तु निष्फल होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से अंकित भूमि रोही मालेर की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता नं. 198/244 के खसरा संख्या 340/118 में 5.060 हैक्टर रकबा पुख्ता आवंटन भूमि की मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा खातेदारी प्राप्त होने के उपरान्त रहन, बैय व हस्तातंरण ना करें। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़